

श्री. अनिल रिप्ले
न्यायालय, धनबाद ।

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी का

(69)

28

प्रमाण-पत्रवाट सं० 8/2000-2001

मैनेजर SBI सिविल बैंक शाखा ने

श्री. मकन्दाम रजु पिता-...
ग्राम-... किरसी बसुड पो-...
जिला-... से रुपये 6935=00 की वसूली हेतु अध्याचन

पत्र टायर किया है। इसमें गलत विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह माँग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक माँग वसूली अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत में गंठुट हैं। इसे पंजी-१० में दर्ज करें। अध्याची पदाधिकारी ने कोर्ट फीस 936=00 रुपये का दाखिल किया है, जिसका विवरणी पार्ट में अंकित है।

धारा-7 के अंतर्गत प्रमाण पत्र टेनटार के विरुद्ध सूचना जारी करें। अभिलेख दिनांक-... को प्रस्तुत करें।

936=00

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी,
धनबाद।

23.3.2001

धारा-7 का प्रमाण का नार्किंग का
कोर्ट की कोर्ट में प्रमाण के लिये
प्रमाण अन्वय पीसी की एक प्रमाण
पत्र की वसूली हेतु प्रमाण जारी करें।
दि० 23.6.2001 को प्रमाण

P.S. Gumber

171
24.3.2001

50404510

10.5.07

अभिलेख उपस्थापित

धारा - 7 का अनुदान का नामित प्राप्त ।
आपति दादा करने की समस्त सीमा समाप्त
हो चुकी है

देवदा की ओर से शशि
जमा करने संबंधी अनुदान अप्राप्त है

बकाले शशि की वसूली
है देवदा को पुनः एक जोरिश निर्गत
करे ।

दिनांक 21.5 को रखे ।
30 पं प 210

अभिलेख उपस्थापित ।

देवदा को चेतावनी गोरिश का नामित प्राप्त है ।
देवदा द्वारा शशि जमा गरी किया गया एवं कोर्ट
पेरी गरी है एक अनु शशि वसूली है चेतावनी
चेतावनी गोरिश निर्गत करे/अभिलेख दिनांक 12/8/13
को प्रस्तुत करें

अंठलठ

15/11/2020

अभिलेख उपस्थापित । देवदा के द्वारा
कोर्ट के माध्यम से अभिलेखित शशि जमा
कर कोर्ट के द्वारा अभिलेखित प्रमाण - यह
प्रस्तुत किया गया है । अभिलेख की
आवेदन सफल की गयी है ।